प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 01 मार्च **फरवरी, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडरनगर हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/913, दिनॉक 13.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 925.73 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2210-05-789-03-05-राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि **रू0 670.00 लाख (रू0 छः करोड़ सत्तर लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210057890305 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2210057890305 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)
2	083	2210057890305 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर	41 भोजन व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
3	083	2210057890305 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**6,70,00,000 (रुपये छह करोड़ सत्तर लाख मात्र)**

महायोग	6,70,00,000 (रुपये छह करोड़ सत्तर लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 01-03-2024 18:18:07
Reason: Approved

(एस० पी० सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व तद्यदिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2737478/2024/ -1

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-2023-24-71-1002-002-50-2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर हेतु विभिन्न मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2210057890305 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर (	01 (वेतन(	29,13,30,000 रुपये उन्तीस करोड़ तेरह लाख तीस हजार मात्र	4,85,04,000 रुपये चार करोड़ पचासी लाख चार हजार मात्र	- 4,85,04,000 रुपये चार करोड़ पचासी लाख चार हजार मात्र	24,28,26,000	2023-2024
083	2210057890305 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर (	03 (मंहगाई भत्ता(	13,40,69,000 रुपये तेरह करोड़ चालीस लाख उनहत्तर हजार मात्र	4,40,69,000 रुपये चार करोड़ चालीस लाख उनहत्तर हजार मात्र	- 4,40,69,000 रुपये चार करोड़ चालीस लाख उनहत्तर हजार मात्र	9,00,00,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के	संक्रमण हेतु	संक्रमण के	वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या			लिए उपलब्ध विनियोग /	प्रस्तावित धनराशि	पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वर्ष
083	2210057890305 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर (	21 (छात्रवृतियां और छात्रवेतन(	11,00,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ मात्र	5,00,00, 000 रुपये पांच करोड़ मात्र	16,00,00,000	2023-2024
083	2210057890305 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर (	41 (भोजन व्यय(	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	65,00,000	2023-2024
083	2210057890305 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर (	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (	5,25,00,000 रुपये पांच करोड़ पच्चीस लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	6,75,00,000	2023-2024

कृपया उपर्युक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासकीय विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर के पत्र दिनांक 28.11.2023 द्वारा अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में वेतनादि मदों में उक्तानुसार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 925.73 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर के पत्र दिनांक 28.11.2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि अन्तर्गत राजस्व पक्ष में शासकीय सेवा बाण्ड सेवायोजित एस0आर0 व विभिन्न बैचों के डी0एन0बी0 अभ्यर्थियों व जूनियर रेजीडेन्टस के छात्रवेतन एवं छात्रवृत्ति हेतु रू0 500.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि मानक मद-21-छात्रवृत्तियां एवं छात्रवेतन में, मरीजों एवं तीमारदारों के भोजन हेतु लम्बित देयकों के भुगतान हेतु रू0 20.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि मानक मद-41-भोजन व्यय में तथा नवीन आउटसोर्सिंग कार्मिकों की तैनाती प्रक्रिया के फलस्वरूप मानदेय भुगतान हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0 150.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि मानक मद-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में, इस प्रकार मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर में उक्तानुसार विभिन्न मानक मदों में लम्बित देयको एवं शेष माहों की आवश्यकता हेतु कुल रू0 670.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्याः आर ई-बजट-1-491-2023-24, दिनांक 26 फरवरी, 2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

(बृजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।